



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092023-249088
CG-DL-E-30092023-249088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/ आश्विन 5, 1945

No. 235]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: सीवीडी-एनएसआर-01/2022

विषय: वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "काँपर ट्यूब और पाइप" के आयातों पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के मामले में, मै. एल एस मेटल विना एलएलसी (वियतनाम से उत्पादक) के लिए अलग-अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क के निर्धारण के लिए न्यू शिपर समीक्षा जांच।

फा. सं. 07/16/2022.डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

1. एल एस मेटल विना एलएलसी, वियतनाम (जिसे यहां आगे "आवेदक भी कहा गया है") ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार (जिसे आगे एएससी एम भी कहा गया है) के अनुच्छेद 19.3, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और

संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉपर पाइप और ट्यूबों के सब्सिडी प्राप्त आयातों पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के मामले में अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क दरें निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 07/16/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन को वापस लेना

3. आवेदक ने दिनांक 22.09.2023 के ई मेल के माध्यम से अपना आवेदन वापस ले लिया और बताया कि इस दृष्टि से भारतीय प्रतिसंतुलनकारी शुल्क कार्य ढांचे के अंतर्गत एक कमी है कि न्यू शिपर समीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिसके कारण संबद्ध जांच में आगे कार्रवाई करना संभव नहीं होगा।

4. आवेदक ने प्राधिकारी से भारतीय सीवीडी कार्य ढांचे में एनएसआर प्रावधान को कारगर बनाना शामिल करने के संशोधन के साथ नया आवेदन दायर करने के लिए आवेदक की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है।

ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच

5. अपना आवेदन वापस लेने के आवेदक के अनुरोध के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदन के वापस लेने के बाद यह जांच निष्फल हो गई है।

6. चूंकि आवेदक ने आवेदन वापस ले लिया है, इसलिए जांच संचालन में आगे कार्रवाई नहीं करने को उचित समझा गया है। तदनुसार नियमावली के नियम 14 (क) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा अधिसूचना सं. 07/16/2022-डीजीटीआर दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से शुरू की गई वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉपर ट्यूब और पाइपों के आयातों पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के मामले में, मै. एलएस मेटल विना एलएलसी (वियतनाम से उत्पादक) के लिए अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क की दर के निर्धारण के लिए शुरू की गई न्यू शिपर समीक्षा जांच को समाप्त करते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2023

Case No. CVD-NSR-01/2022

Subject: Termination of New Shipper Review investigation for determination of individual countervailing/anti-subsidy duty rate for M/s LS Metal Vina LLC (Producer from Vietnam) in the case of Anti-Subsidy duties imposed on import of Copper Tubes & Pipes" originating in or exported from Vietnam.

F. No. 07/16/2022-DGTR.—A. Introduction

1. LS Metal Vina LLC, Vietnam (herein after referred as the "applicant") has filed an application in accordance with Article 19.3 of WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter also referred to as "ASCM"), the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Rules') and the Custom Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as

the 'Act') before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") requesting for determination of their individual countervailing/ anti-subsidy duty rates in the matter of anti-subsidy duties levied on subsidized imports of Copper Pipes and Tubes, originating in or exported from Malaysia, Thailand and Vietnam.

2. The Designated Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide notification no. 07/16/2022-DGTR dated 30th September 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation.

B. Withdrawal of the application by Domestic Industry

3. The applicant vide email dated 22.09.2023, has withdrawn their application stating that there is a lacuna under the Indian Countervailing Duty framework in the sense that there are no provisions for a new shipper review, due to which it would not be possible to proceed further in the subject investigation.

4. The applicant has requested the Authority to terminate the present investigation with liberty to the applicant to file new application after the amendment to include a NSR provision in the Indian CVD framework.

C. Examination by the Designated Authority

5. In view of the request made by the applicant withdrawing its application, the Designated Authority considers that the investigation has become infructuous after the withdrawal of the application.

6. Since the applicant has withdrawn the application, it is considered appropriate not to proceed further with the conduct of the investigation. Accordingly, in terms of Rule 14 (a) of the Rules the Authority, hereby terminates the New Shipper Review investigation for determination of individual countervailing/anti-subsidy duty rate for M/s LS Metal Vina LLC (Producer from Vietnam) in the case of anti-subsidy duties imposed on import of Copper Tubes & Pipes” originating in or exported from Vietnam initiated vide notification no. 07/16/2022-DGTR dated 30.09.2022.

ANANT SWARUP, Designated Authority